सत्यमेव जयते

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण

वार्षिक प्रतिवेदन
वर्ष - 2019

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

प्रशासनिक प्रतिवेदन वर्ष–2019

(दिनांक 01.01.2019 से 31.12.2019 तक)

1. अधिकरण का क्षेत्राधिकार

1.1. राज्य कर्मचारियों के सेवा सम्बन्धी मामलों तथा आनुषंगिक विवादों के निपटारे के लिए राजस्थान विधान सभा द्वारा पारित राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की अनुपालना में राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण का गठन 1 जुलाई, 1976 को किया गया था। यह अधिनियम माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा अनुमोदन के पश्चात् ही लागू किया गया है। इसका क्षेत्राधिकार सम्पूर्ण राजस्थान है तथा सिविल सेवाएं जो राजपत्र में अधिसूचित हों (राजस्थान उच्चतर न्यायिक सेवा तथा राज. न्यायिक सेवा के सदस्य, राजस्थान उच्च न्यायालय के कर्मचारी, राजस्थान विधान सभा सचिवालय स्टाफ के कर्मचारी तथा राजस्थान लोक सेवा आयोग व लोकायुक्त कार्यालय, उपलोकायुक्त के कर्मचारियों के अलावा)। इनके अतिरिक्त राजस्थान सरकार के निगम, बोर्ड एवं स्वायत्तशाषी संस्थाओं तथा अर्द्ध सरकारी कार्यालयों को इस अधिकरण के क्षेत्राधिकार से पृथक् रखा गया है।

1.2. अधिकरण की जोधपुर में एक चलपीठ का गठन 1.11.1997 से किया गया है। चलपीठ जोधपुर की प्रतिमाह बैठक हो रही है।

1.3. अधिकरण के कार्य का कम्प्यूटराईजेशन किया जा रहा है।

2. न्याय पीठ का गठन

2.1 राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 3(2) के प्रावधानों के अनुसार अधिकरण में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधि–वेतनमान स्तर का अधिकारी तथा कम से कम दो अन्य सदस्य होगे जिनमें एक राजस्थान उच्चतर न्यायिक सेवा का सदस्य होगा।

वर्तमान में निम्नानुसार न्यायिक व्यवस्था कार्यरत है।

अध्यक्ष तथा राजस्थान उच्चतर न्यायिक सेवा के सदस्य के अतिरिक्त 02 भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत अधिकारी तथा 01 राजस्थान प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत अधिकारी सदस्यों के रूप में नियुक्त हैं। जिनकी संख्या समय–समय पर 1 से 4 तक रही है। माननीय सदस्यों की सेवा शर्तें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाती हैं।

2.2 अधिकरण का संगठनात्मक विवरण

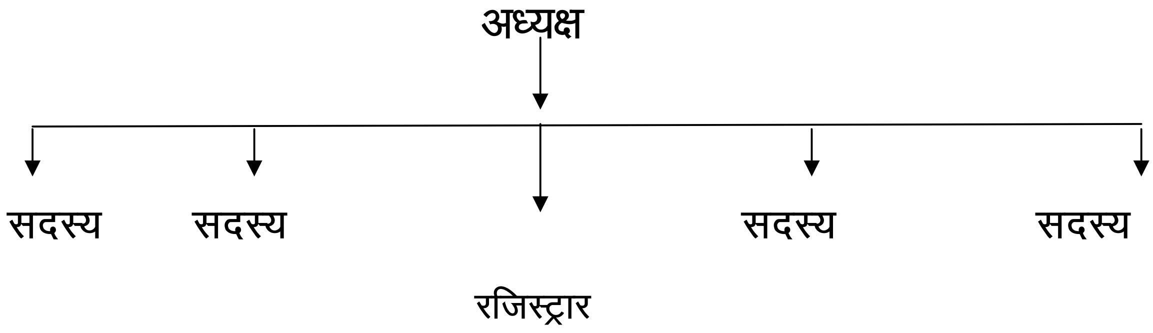

2.3 समीक्षाधीन अवधि 2019 में निम्नलिखित पदाधिकारी पदस्थापित हैं :–

1. श्री गिरी राज सिंह, (IAS) अध्यक्ष — दिनांक 20.12.2018 से निरन्तर
2. श्री प्रभु लाल आमेटा, सदस्य न्यायिक — दिनांक 07.05.2018 से निरन्तर
3. डॉ. धर्मेन्द्र भटनागर (Rtd. IAS) सदस्य — दिनांक 11.09.2017 से निरन्तर
4. श्री बन्ना लाल (Rtd. IAS) सदस्य — दिनांक 05.10.2017 से निरन्तर
5. श्री जस्सा राम चौधरी (Rtd. RAS) सदस्य — दिनांक 14.05.2018 से निरन्तर
6. श्रीमती मुन्नी मीना (RAS) रजिस्ट्रार — दिनांक 27.02.2017 से निरन्तर

2.4 अधिकरण में स्वीकृत/रिक्त पदों की स्थिति निम्नानुसार है :–

	पद नाम	स्वीकृत पद	रिक्त पद
1	निजी सचिव	01	01
2	पुस्तकालयाध्यक्ष	01	–
3	सहायक रजिस्ट्रार	01	–
4	प्रोग्रामर	01	–
5	अति. निजी सचिव	04	03
6	निजी सहायक	02	01
7	अति. प्रशा. अधिकारी	01	–
8	सहायक प्रशा. अधिकारी	03	03
9	सहा. लेखाधिकारी ग्रेड–II	01	–
10	शीघ्र लिपिक	06	04
11	वरिष्ठ सहायक	05	–
12	सूचना सहायक	01	–
13	कनिष्ठ सहायक	10	02
14	वाहन चालक	03	–
15	जमादार	01	–
16	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	17	04

वर्तमान में रिक्त पदों के विरूद्ध 02 कनिष्ठ सहायक, 01 शीघ्र लिपिक एवं 03 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संविदा पर कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त एक सलाहकार भी कार्यरत है।

3. अधिकरण की अधिकारिता :–

3.1 राजस्थान सिविल सेवा अधिनियम, 1976 की धारा 2(एफ) के प्रावधानों के तहत राज्य कर्मचारियों के निम्न सेवा मामलों में सुनवाई का अधिकार है :–

1. वरिष्ठता
2. पदोन्नति
3. पुष्टीकरण (स्थायीकरण)
4. वेतन स्थिरीकरण
5. किसी सरकारी कर्मचारी के वेतन भत्ते, पेन्शन तथा अन्य सेवा शर्तों का उसके हित में अस्वीकार अथवा परिवर्तन करने वाला कोई आदेश।
6. उच्च सेवा श्रेणी अथवा पद पर स्थापन होते हुए निम्न सेवा श्रेणी अथवा पद पर पदावनति वाले मामले।
7. पेन्शन रोकना अथवा अधिकतम पेन्शन अस्वीकार करना।
8. राजस्थान सरकार के कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.17(7) कार्मिक क–2/77 दिनांक 25.02.1995 के अनुसार स्थानान्तरण संबंधी मामलों में भी पूर्ण पीठ द्वारा अपीलें सुने जाने का प्रावधान था, अब राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 05.01.2016 के द्वारा अधिकरण अधिनियम 1976 के नियम 4 में संशोधन कर स्थानान्तरण से सम्बन्धित प्रकरण भी दो सदस्यीय पीठ द्वारा सुनने का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार स्थानान्तरण सहित सभी सेवा प्रकरणों का निस्तारण दो सदस्यीय पीठ द्वारा किया जाता है।

   अधिकरण द्वारा पारित आदेश अन्तिम होता है। निर्णय से असंतुष्ठ कार्मिकों के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में रिट दायर की जा सकती है।

3.2 अधिकरण की शक्तियाँ :–

अधिकरण के समक्ष प्रक्रियाएँ भारतीय दण्ड संहिता 1860 (केन्द्रीय अधिनियम सं 45 सन् 1860) की धारा 193 के अर्थों में न्यायिक प्रक्रियाएँ समझी जाती है।

1. दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (केन्द्रीय अधिनियम 2, सन् 1974) की धारा 345 तथा 346 और न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971 (केन्द्रीय अधिनियम 70 सन् 1971) के प्रयोजनार्थ अधिकरण को एक सिविल न्यायालय समझा जाएगा।

2. अधिकरण के अधिनियम के अधीन अपील निपटाने के प्रयोजन के लिए मामलों में सिविल न्यायालय को सिविल प्रक्रिया संहिता 1903 (केन्द्रीय अधिनियम 5 सन् 1908) के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियां भी अधिकृत हैं।

3.3 **<u>पुस्तकालयः</u>**– अधिकरण के पुस्तकालय में वर्ष 2019 के दौरान 11722 पुस्तकों से बढ़कर 11775 पुस्तकें हो गई है। अतः 53 नयी पुस्तकों एवं विधि संबंधी पीरियोडिकल जरनल्स (Journals) का और समावेश हुआ है।

3.4 **<u>प्रतिलिपियाँः</u>**– अधिकरण की प्रतिलिपि शाखा द्वारा वर्ष 2019 में कुल 6868 प्रतियां सशुल्क एवं 2349 प्रतियां निःशुल्क जारी की गई है। जिससे 62,940/– रूपये की आय प्राप्त हुई।

4.1 2019 मे प्राप्त अपीलों का विवरण निम्नानुसार उल्लेखित है :–

(1) माहवार अपीलों का विवरण	–	सारणी 1
(2) जिलेवार अपीलों का विवरण	–	सारणी 2
(3) विभागवार अपीलों का विवरण	–	सारणी 3
(4) विषयवार अपीलों का विवरण	–	सारणी 4
(5) अन्य प्रार्थना पत्रों का विवरण	–	सारणी 5
(6) निर्णयों की प्रतियों का विवरण	–	सारणी 6
(7) निर्णित अपीलों का विवरण	–	सारणी 7
(8) अधिकरण को वित्तीय वर्ष 2019–20 में आवंटित बजट एवं दिसम्बर 2019 तक खर्च की स्थिति	–	सारणी 8

4.2 वर्ष 2019 के अंतर्गत नई दर्ज की गई अपीलों की (सारणी–3) के अनुसार निम्न स्थिति उभरकर आती है :–

क्र. सं.	विभाग	अपीलों की संख्या	प्रतिशत
1.	शिक्षा विभाग	2548	45.97%
2.	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	1267	22.86%
3.	राजस्व विभाग	278	5.02%
4.	गृह एवं पुलिस विभाग	251	4.53%
5.	ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग	240	4.33%
6.	कृषि विभाग	197	3.55%

शेष सभी विभागों के मिलाकर 13.75% से कम मामले दर्ज हुए हैं।

4.3 राज्य सरकार द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) (संशोधन) अध्यादेश 2005 दिनांक 24.10.2005 को 1976 के राजस्थान के अधिनियम संख्या 34 में धारा–4 (क) का अन्तःस्थापन निम्न प्रकार किया है :–

(क) अपील तब तक स्वीकार नहीं की जायेगी जब तक कि अन्य उपचार निःशेष न किये गये हों–(1) सामान्यतः अधिकरण अपील को तब तक स्वीकार नहीं करेगा जब तक कि उसका इस बात से समाधान नहीं हो जाता है कि अपीलार्थी ने सुसंगत सेवा नियमों के अधीन शिकायत को दूर करने के लिए उसे उपलब्ध समस्त उपचारों का उपयोग कर लिया है।

स्पष्टीकरण :– इस धारा में अभिव्यक्ति, शिकायतों को दूर करने के लिए सेवा नियमों से सेवा मामलों के सम्बन्ध में किन्हीं शिकायतों को दूर करने के सम्बन्ध में ऐसे नियम, विनियम, आदेश या अन्य लिखत या ठहराव अभिप्रेत है जो इस अधिनियम से अन्यथा तत्समय प्रवृत्त हों।

1976 के राजस्थान अधिनियम संख्या 34 की धारा–9 में अपीलों के लिए परिसीमा

(1) अधिकरण निम्नलिखित मामलों को स्वीकार नहीं करेगा :–

(क) ऐसे मामले में, जहाँ शिकायत के संबंध में धारा –4क की उप धारा (2) के खण्ड (क) में वर्णित ऐसा अन्तिम आदेश दिया गया है, यदि अपील उस तारीख से, जिसको ऐसा अन्तिम आदेश किया गया है, छः मास के भीतर–भीतर नहीं की गयी है।

(ख) ऐसे मामले में, जहाँ 4क की उप धारा (2) के खण्ड (ख) में वर्णित अपील की गयी है या अभ्यावेदन किया गया है और ऐसा अन्तिम आदेश किये बिना उसके पश्चात् छः मास की कालावधि समाप्त हो गयी है, यदि अपील छः मास की उक्त कालावधि की समाप्ति की तारीख से छः मास के भीतर–भीतर नहीं की गयी है।

(ग) अन्य मामलों में, यदि अपील उस आदेश की तारीख से जिसके विरूद्व अपील की गयी है, छः मास के भीतर–भीतर नहीं की गयी है।

(2) उप–धारा (1) में वर्णित किसी बात के होते हुए भी अपील उप–धारा (1) विनिर्दिष्ट परिसीमा की कालावधि के पश्चात् भी स्वीकार की जा सकेगी यदि अपीलार्थी अधिकरण का यह समाधान कर देता है कि ऐसी कालावधि के भीतर अपील नहीं करने का उसके पास पर्याप्त कारण था।

रजिस्ट्रार
राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण,
जयपुर

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

सारणी 1: माहवार दर्ज अपीलों का विवरण वर्ष 2019

(दिनांक 01.01.2019 से 31.12.2019 तक)

माह	जयपुर	जोधपुर
जनवरी–2019	124	26
फरवरी–2019	253	38
मार्च–2019	501	57
अप्रेल–2019	134	24
मई–2019	124	10
जून–2019	411	02
जुलाई–2019	491	166
अगस्त–2019	271	71
सितम्बर–2019	420	92
अक्टूबर–2019	1650	214
नवम्बर–2019	202	51
दिसम्बर–2019	189	22
योग	**4770**	**773**
महायोग	**5543**	

रजिस्ट्रार
राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण
जयपुर

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

सारणी 2 : जिलेवार दर्ज अपीलों का विवरण वर्ष 2019
(दिनांक 01.01.2019 से 31.12.2019 तक)

क्रं. सं.	जिला	जयपुर	जोधपुर
1.	अजमेर	214	18
2.	अलवर	292	07
3.	जयपुर	1063	21
4.	जोधपुर	26	179
5.	जालौर	39	28
6.	जैसलमेर	20	14
7.	बाड़मेर	33	57
8.	बांसवाड़ा	95	39
9.	बीकानेर	99	58
10.	बारां	34	—
11.	बून्दी	85	2
12.	भरतपुर	230	3
13.	भीलवाड़ा	208	52
14.	चित्तौड़गढ़	51	17
15.	चुरू	126	49
16.	झालावाड़	95	3
17.	झुन्झुनू	234	7
18.	कोटा	207	6
19.	करौली	158	4
20.	डूंगरपुर	59	8
21.	गंगानगर	76	42
22.	नागौर	107	30
23.	दौसा	166	—
24.	पाली	60	35
25.	सवाई माधोपुर	143	2
26.	उदयपुर	124	28
27.	राजसमन्द	38	10
28.	सीकर	292	03
29.	सिरोही	37	20
30.	प्रतापगढ़	38	2
31.	टोंक	141	3
32.	धौलपुर	64	—
33.	हनुमानगढ़	116	26
	योग	**4770**	**773**
	महायोग	**5543**	

रजिस्ट्रार
राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण
जयपुर

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

सारणी 3 : विभागवार दर्ज अपीलों का विवरण वर्ष 2019

(दिनांक 01.01.2019 से 31.12.2019 तक)

क्रं. सं.	विभाग	जयपुर	जोधपुर
1	आबकारी विभाग	6	—
2	आयुर्वेद विभाग	200	10
3	इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना विभाग	3	03
4	उद्योग विभाग	3	—
5	तकनीकी शिक्षा विभाग	28	03
6	कॉलेज शिक्षा	84	08
7	कृषि विभाग	189	08
8	कार्मिक विभाग	11	—
9	कोष एवं लेखा विभाग	33	3
10	खान एवं भू विज्ञान विभाग	12	3
11	ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग	206	34
12	गृह विभाग	241	10
13	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	982	75
14	जल संसाधन विभाग	10	29
15	जन स्वा. अभि. विभाग	57	34
16	नगर नियोजन विभाग	4	5
17	प्रारम्भिक शिक्षा विभाग	200	27
18	परिवहन विभाग	6	—
19	सिंचाई विभाग	1	—
20	पशुपालन विभाग	85	15
21	महिला एवं बाल विकास विभाग	115	06
22	मुद्रण एवं लेखन	—	1
23	माध्यमिक शिक्षा विभाग	1771	384
24	राज्य बीमा विभाग	6	03
25	राजस्व विभाग	223	55
26	देवस्थान	5	—
27	नियोजन एवं श्रम विभाग	9	—
28	वन विभाग	84	15
29	वाणिज्यकर विभाग	4	—
30	वित्त विभाग	11	06
31	जिला परिषद्	8	0
32	सामान्य प्रशासन विभाग	2	2
33	सूचना एवं प्रौधोगिकी विभाग	23	2
34	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	20	—
35	आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग	8	1
36	स्वायत्त शासन विभाग	18	3
37	संस्कृत शिक्षा विभाग	42	1
38	सहकारिता विभाग	21	3
39	सार्वजनिक निर्माण विभाग	27	15
40	मुद्रांक एवं पंजीयन विभाग	1	—
41	स्थानीय निकाय विभाग	1	—

42	भू–जल विभाग	–	04
43	भू–प्रबन्धन विभाग	1	03
44	स्थानीय निधी अंकेक्षण	1	–
45	जन सम्पर्क विभाग	3	–
46	पुरातत्व एवं संग्रहालय	1	–
47	खाद्य एवं नागरिक रसद विभाग	4	2
	योग	**4770**	**773**
	महायोग	**5543**	

रजिस्ट्रार
राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण
जयपुर

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

सारणी 4 : विषयवार दर्ज अपीलों का विवरण वर्ष 2019

(दिनांक 01.01.2019 से 31.12.2019 तक)

क्रं. सं.	विषय	जयपुर	जोधपुर
1.	पेंशन	8	07
2.	वरिष्ठता एवं पदोन्नति	390	55
3.	वसूली	144	09
4.	चयनित वेतनमान	85	44
5.	सेवानिवृत्ति	6	03
6.	स्थानान्तरण	3852	622
7.	पदावनति	5	01
8.	वेतन निर्धारण	3	07
9.	वेतन स्थिरीकरण	17	03
10.	वेतन एवं भत्ते	208	19
11.	स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति	1	—
12.	अन्य	51	03
	योग	**4770**	**773**
	महायोग	**5543**	

रजिस्ट्रार
राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण
जयपुर

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

सारणी 5 : विभिन्न दर्ज प्रार्थना–पत्रों का विवरण वर्ष 2019

(दिनांक 01.01.2019 से 31.12.2019 तक)

विषय	जयपुर	जोधपुर
अवमानना	152	51
पुनर्स्थापना	54	14
पुनर्विलोकन	30	04
रिमाण्ड	13	00
विविध एवं त्रुटि सुधार	18	08
कुल योग	**267**	**77**

रजिस्ट्रार
राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण
जयपुर

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

सारणी : 6 निर्णय की प्रतियां जारी किए जाने व उनसे प्राप्त राशि का मासिक विवरण वर्ष 2018 **(दिनांक 01.01.2019 से 31.12.2019 तक)**

माह / वर्ष	प्राप्त आवेदन–पत्र	प्रतिलिपियां दी गई	आवेदन–पत्र निरस्त	राशि प्राप्त
जनवरी 2019	316	316	–	2499
फरवरी 2019	356	356	–	3727
मार्च 2019	389	389	–	2963
अप्रैल 2019	579	579	–	6070
मई 2019	339	339	–	3703
जून 2019	330	330	–	4197
जुलाई 2019	812	809	3	11642
अगस्त 2019	500	492	8	4050
सितम्बर 2019	520	502	18	3965
अक्टूबर 2019	797	797	–	5159
नवम्बर 2019	1165	1143	22	8807
दिसम्बर 2019	846	816	30	6158
योग	**6949**	**6868**	**81**	**62940**

जनवरी 2019 से दिसम्बर 2019 तक निःशुल्क राजकीय प्रयोजनार्थ 2349 प्रतियां जारी की गई।

वर्ष 2019 में माननीय उच्च न्यायालय में 3 मामले रैफर किए गए।

वर्ष 2019 में अधिकरण के आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिकाओं की संख्या अधिकरण के अभिलेखानुसार 13 है।

रजिस्ट्रार
राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण
जयपुर

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

सारणी–7 दिनांक 1.1.19 से 31.12.19 तक जयपुर एवं जोधपुर पीठ में प्राप्त एवं निर्णित अपीलों का विवरण :–

वर्ष	2000 से 2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	योग	जोधपुर	कुल योग
1.1.19 को शेष अपील	487	232	211	309	154	200	291	160	344	404	549	773	580	1903	0	6597	977	7574
1.1.19 से 31.12.19 तक प्राप्त अपीलें	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4770	4770	773	5543
पुनर्स्थापना / रिमाण्ड	59	1	–	1	–	2	–	–	–	10	–	–	–	3	2	78	3	81
योग	**546**	**233**	**211**	**310**	**154**	**202**	**291**	**160**	**344**	**414**	**549**	**773**	**580**	**1906**	**4772**	**11445**	**1753**	**13198**
1.1.19 से 31.12.19 तक निर्णित अपीलें	182	47	96	175	24	61	127	30	92	97	100	288	220	1194	2404	5137	863	6000
31.12.19 को शेष	364	186	115	135	130	141	164	130	252	317	449	485	360	712	2368	6308	890	7198

रजिस्ट्रार
राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण
जयपुर

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

सारणी 8 :– अधिकरण को आवंटित बजट (वित्तीय वर्ष 2019–20) व दिनांक 31.12.2019 तक व्यय की स्थिति निम्नानुसार है :–

(राशि लाखों में)

क्रं. सं.	मद	आवंटित	व्यय
1.	संवेतन	368.00	266.64
2.	यात्रा भत्ता व्यय	2.50	1.69
3.	चिकित्सा व्यय	2.50	1.58
4.	कार्यालय व्यय	28.00	8.39
5.	कार्यालय वाहनों का संचालन एवं संधारण	1.80	1.73
6.	पुस्तकालय	1.50	0.73
7.	वाहन किराया	9.35	7.18
8.	संविदा सेवाएं	5.00	4.59
9.	वर्दी	0.30	0.30
10.	कम्प्यूटराइजेशन एवं संचार संबंधी व्यय	16.31	9.47
	योग	**435.26**	**302.30**

नोट :–

1. वित्तीय वर्ष 2019–20 में राजस्व मद 0070 में जमा राशि दिनांक 31.12.2020 तक रूपये 127121/– है।
2. अंकेक्षण जाँच पैराओं की स्थिति :– बकाया आक्षेप–51

रजिस्ट्रार
राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण
जयपुर